



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6326

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट - ए संख्या - 17942 वर्ष 2025**

सियाराम नागर और 21 अन्य

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 11 अन्य

.....प्रत्यर्था(गण)

---

|                             |   |                                |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता | : | सिद्धार्थ खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता |
| प्रत्यर्था(गण) के अधिवक्ता  | : | मुख्य स्थायी अधिवक्ता          |

---

**न्यायालय संख्या - 33**

**माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार**

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे, जिनकी सहायता विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ कर रहे थे और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव की बात सुनी गई।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव ने न्यायालय में बयान दिया है कि उन्हें सभी निर्देश भलीभांति प्राप्त हैं और वे मामले पर बहस करने में सक्षम हैं तथा वे कोई प्रति-शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं। उनके अनुसार, निर्देश स्वतः पर्याप्त हैं और याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाना चाहिए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर प्रारंभिक चरण में निर्णय लिया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि 13.08.1987 को दैनिक जागरण और दैनिक मान्यवर नामक दो समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार, संग्रहण चपरासी (चतुर्थ श्रेणी) के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। एक चयन समिति का गठन किया गया, जिसने 02.09.1997 से 09.09.1997 के बीच चयन प्रक्रिया संचालित की और उसके बाद 18.09.1997 को चयनित सूची प्रकाशित की गई। 24.09.1997 को एक आदेश पारित किया गया जिसमें संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया, जिसे रिट याचिका संख्या 36622 वर्ष 1997, रवींद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में चुनौती दी गई थी, जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"वर्तमान रिट याचिका 11 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है, जिसमें जौनपुर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 24.09.2007 को पारित उस निर्णय की वैधता पर सवाल उठाया गया है, जिसमें चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था, और साथ ही प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को 18.09.1997 को प्रकाशित चयन सूची के आधार पर लेक्सग पिज्कल के रूप में नियुक्ति प्रदान करने का आदेश देने के लिए परमादेश जारी करने और दिनांक 11.09.1997 के सरकारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।

रिट याचिका में उल्लिखित मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि यह है कि जौनपुर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने अधीन राजस्व प्रतिष्ठान में शेष रिक्त पद (संग्रह चपरासी) चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि संबंधित रिक्त पद का विज्ञापन जारी किया गया था और रोजगार एक्सचेंज से नाम मंगवाए गए थे, जिसके बाद अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) को चयन प्रक्रिया संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि चयन समिति का गठन किया गया और 2 सितंबर 1997 से 9 सितंबर 1997 तक चले साक्षात्कार के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई तथा चयनित सूची 18 सितंबर 1997 को प्रकाशित की गई। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उपरोक्त चयनित सूची के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया गया था और इसके बाद यह पता चला कि 11 सितंबर 1997 को राजस्व विभाग में रिक्त पद पर नियुक्ति पर रोक लगाने का सरकारी आदेश जारी किया गया है। उक्त सरकारी आदेश 22.09.1997 को जौनपुर कलेक्ट्रेट में फैक्स द्वारा प्राप्त हुआ था और उसके बाद 24.09.1997 को आक्षेपित आदेश पारित कर संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। इसी समय यह रिट याचिका दायर की गई है।

उप-खंड मजिस्ट्रेट, सदर सूर्य नारायण यादव ने प्रति-शपथपत्र दाखिल करते हुए कहा है कि तथाकथित चयनित उम्मीदवारों को कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है, बल्कि जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर शिकायत प्राप्त होने के कारण संपूर्ण चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने दिनांक 11.09.1997 को एक सरकारी आदेश जारी कर नई चयन प्रक्रिया रोक दी है।

प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल किया गया है और उसमें प्रति-शपथपत्र में उल्लिखित कथनों का खंडन किया गया है और रिट याचिका में उल्लिखित कथनों को दोहराया गया है।

उपरोक्त उल्लिखित दलीलों के आदान-प्रदान के बाद, पक्षों की सहमति से वर्तमान रिट याचिका को अंतिम सुनवाई और निपटान के लिए लिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ खरे ने पुरजोर तर्क देते हुए कहा कि वर्तमान मामले में चयन प्रक्रिया को मात्र अनुमानों और अटकलों के आधार पर रद्द कर दिया गया है, जबकि इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है और न ही कोई जांच की गई है। इस प्रकार पारित आदेश अत्यंत मनमाना, अनुचित और अन्यायपूर्ण है और इसे इस न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री ए.के. उपाध्याय ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है और राज्य सरकार ने चयन और नियुक्ति न करने का नीतिगत निर्णय लिया है, और किया गया चयन स्वतः ही दूषित है, इसलिए उक्त चयन प्रक्रिया को कोई विश्वसनीयता नहीं दी जा सकती है, अतः इस न्यायालय द्वारा विचाराधीन रिट याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

संबंधित दलीलों के बाद, वर्तमान मामले में जो तथ्यात्मक स्थिति सामने आ रही है, वह यह है कि संग्रह चपरासी (कराधान विभाग) (चतुर्थ श्रेणी) के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी और इसके लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) को चयन प्रक्रिया संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया था। दावा किया गया है कि विधिवत गठित चयन समिति द्वारा 2 सितंबर 1997 से 9 सितंबर 1997 के बीच चयन प्रक्रिया आयोजित की गई थी और उसके बाद 18 सितंबर 1997 को चयनित सूची प्रकाशित की गई थी। इस बीच, निर्विवाद स्थिति यह है कि राज्य सरकार की ओर से 11 सितंबर 1997 को राजस्व विभाग में आगे के चयन और नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था, जो 20 सितंबर 1997 को जौनपुर कलेक्ट्रेट में प्राप्त हुआ था और उसके बाद 24 सितंबर 1997 को चयन प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश पारित किया गया था। आक्षेपित आदेश में आगे उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और जिला मजिस्ट्रेट ने आगे उल्लेख किया है कि वर्तमान चयन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण चयन प्रक्रिया दूषित हो गई है और इसलिए वे संपूर्ण चयन प्रक्रिया को नए सिरे से करना उचित समझते हैं। संबंधित मूल अभिलेख प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख से पता चलता है कि चयन रद्द करने का कारण यह है कि समाचार पत्रों में चयन के विरुद्ध विरोध दर्ज किया गया था, जिसे व्यापक रूप से प्रकाशित किया गया था, और यह भी कहा गया था कि चयन प्रक्रिया में अनियमितता हुई है, इसलिए उक्त चयन रद्द किया जा रहा है। यदि चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं और विरोध दर्ज किया गया है, तो जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त शिकायतों की सत्यता की जांच करने और उसके आधार पर अपनी राय बनाने का पूरा अधिकार है। वर्तमान मामले में जिला

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मजिस्ट्रेट ने अपनी पूरी राय केवल इस आधार पर बनाई है कि शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण प्रक्रिया दूषित हो गई है और निष्पक्षता के नियम के अनुसार संपूर्ण चयन प्रक्रिया को नए सिरे से किया जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया को यूं ही रद्द नहीं किया जा सकता। यदि कोई शिकायतें थीं तो समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर भरोसा करने के बजाय उसी संबंध में जांच की जानी चाहिए थी और रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। वर्तमान मामले में उक्त राय बनाने से पहले संबंधित प्राधिकारी द्वारा उचित शोध नहीं किया गया है और इस न्यायालय के समक्ष यह सुझाव दिया गया है कि पूरी चयन प्रक्रिया में हेराफेरी हुई है, क्योंकि प्रत्येक विशेष तिथि पर 400 उम्मीदवारों की परीक्षा ली गई है जो असंभव है और जिसका कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। आक्षेपित आदेश में ऐसा कोई कारण नहीं दिया गया है। संबंधित प्राधिकारी को वस्तुनिष्ठ रूप से देखना चाहिए और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर निर्णय लेना चाहिए कि क्या उक्त चयन प्रक्रिया में कदाचार हुआ है और निष्पक्षता का अभाव है। वर्तमान मामले में अपेक्षित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर मात्र शिकायत प्राप्त होने पर बिना कोई कार्रवाई किए उक्त चयन प्रक्रिया को रद्द करना अनुचित है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

जहां तक प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार के अधिकार का सवाल है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने का सरकारी आदेश जारी करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और वर्तमान मामले में यह स्वीकार किया जाता है कि यह प्रतिबंध आदेश जौनपुर कलेक्ट्रेट तक पहुंचने से पहले ही चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

यह विशेष रूप से तर्क दिया गया है कि उक्त प्रतिबंध हटा लिया गया है, इस तथ्य पर प्रति-शपथपत्र में कोई विवाद नहीं किया गया है।

इन परिस्थितियों में दिनांक 24.09.1997 का आदेश अपास्त और निरस्त किया जाता है। मामला सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य, लखनऊ को वापस भेजा जाता है, ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि चयन प्रक्रिया विधि के अनुसार संपन्न हुई है या नहीं और क्या यह निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया थी। यदि यह पाया जाता है कि चयन प्रक्रिया विधि के अनुसार संपन्न हुई है और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया है, तो यह भी तथ्यात्मक रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए कि जिन रिक्त पदों के लिए चयन किया गया था, वे अभी भी मौजूद हैं या नहीं। यदि वे रिक्त पद मौजूद हैं, तो आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य सरकार उक्त पद और रिक्त पदों को भरने के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिणामस्वरूप, उपरोक्त कारणों से प्रस्तुत रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है और इसका निस्तारण किया जाता है।"

5. 3 दिसंबर 2007 को सिविल विविध रिट याचिका संख्या 36622 वर्ष 1997, रवींद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश के बाद, राज्य सरकार द्वारा 15 मई 2008 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को चयनित उम्मीदवारों, अर्थात् रिट याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश दिया गया। 15 मई 2008 के आदेश के अनुसरण में, जौनपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने 21 मई 2008 को एक आदेश जारी किया, जिसके तहत रिट याचिकाकर्ताओं सहित 46 व्यक्तियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया। मछलीशहर के उप जिला मजिस्ट्रेट ने 22 अगस्त 2008 को एक परिणामी आदेश जारी कर 29 संग्रह चपरासी को नियुक्ति प्रदान की। रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता संख्या 1 से 5 तहसील मछलीशहर में, याचिकाकर्ता संख्या 6 से 10 तहसील शाहगंज में, याचिकाकर्ता संख्या 11 से 14 तहसील केराकत में, याचिकाकर्ता संख्या 15 से 16 तहसील मड़ियाहूं में और याचिकाकर्ता संख्या 17 से 22 तहसील सदर, जौनपुर में कार्यरत हैं। 31.03.2025 को, सदर, मड़ियाहूं, मछलीशहर, बदलापुर, शाहगंज और केराकत के उप-विभागीय अधिकारियों की एक समिति द्वारा दिनांक 28.06.2024 और 11.07.2024 के सरकारी आदेशों के अनुसरण में एक आदेश पारित किया गया, जिसमें पुरानी पेंशन योजना / नई पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान के संबंध में विकल्पों के बारे में पूछा गया था, जो दिनांक 28.03.2005 के सरकारी आदेश के अनुसार लागू हुई थी, और नई पेंशन योजना के लिए 01.04.2005 से लागू थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना था और चूंकि इस पर विचार नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने रिट-ए संख्या 7578 वर्ष 2025 दायर की, जिसका निस्तारण 28.05.2025 को इस आदेश के साथ किया गया कि प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करें। उक्त रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ताओं को एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, जिस पर प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश द्वारा निर्णय लिया जाना था। इसके बाद, अब जौनपुर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 04.08.2025 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के दावे को खारिज कर दिया गया है। 6. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।



6. इस न्यायालय ने दिनांक 05.12.2025 को रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए:-

"1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 1997 में आयोजित चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, फिर भी चयन रद्द होने के कारण याचिकाकर्ता ने सिविल विविध रिट याचिका संख्या 36622 वर्ष 1997 दायर की, जिसे 03.12.2007 को स्वीकार कर लिया गया और इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को 21.08.2008 को नियुक्ति प्रदान की गई। हालांकि, दिनांक 28.06.2024 और 17.07.2024 के सरकारी आदेशों के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता नई पेंशन योजना के बजाय पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत शासित होने के पात्र थे, विशेष रूप से तब जब उनका चयन नए पेंशन नियमों के लागू होने से पहले ही हो चुका था।

2. श्री पी.के. श्रीवास्तव, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता से निर्देश प्राप्त करने/शपथ पत्र दाखिल करने का अनुरोध क्या जाता है।

3. 19.12.2025 को नए मामले के रूप में प्रस्तुत किया जाए।"

7. चूंकि विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह बयान दिया गया है कि रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए, इसलिए न्यायालय मामले की कार्यवाही आगे बढ़ा रहा है।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित आदेश को इस साधारण कारण से बरकरार नहीं रखा जा सकता है कि एक बार जब चयन प्रक्रिया वर्ष 1997 में 13.08.1997 को विज्ञापन के माध्यम से संग्रह चपरासी के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए आयोजित की गई थी और चयन सूची 18.09.1997 को प्रकाशित हुई थी और उक्त चयन को 24.09.1997 को रद्द किए जाने को स्वयं याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक रिट याचिका में चुनौती दी गई थी, जो रिट याचिका संख्या 36622 वर्ष 1997, रवींद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से दायर की गई थी, जिसका निर्णय 03.12.1997 को हुआ था, जिसमें चयन रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया था, और उसके बाद 15.05.2008 को याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रदान करने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया गया था। इसके परिणामस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 21.08.2008 को और उप जिला मजिस्ट्रेट, मछलीशहर द्वारा 22.08.2008 को आदेश पारित किए गए और याचिकाकर्ताओं ने कार्यभार ग्रहण किया। इस प्रकार, केवल इसलिए कि उन्हें नई पेंशन योजना के लागू होने के बाद नियुक्ति दी गई थी, पुरानी पेंशन योजना के लिए विचार किए जाने के उनके अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क्योंकि चयन 1997 में हुए थे, जो 28.03.2005 के सरकारी आदेश के अनुसार नई पेंशन योजना के लागू होने से पहले के थे, जिसे 01.04.2005 से लागू किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश तथ्यों और कानून की गलतफहमी पर आधारित है, क्योंकि प्रतिवादियों के अनुसार, यह मामला नहीं है कि चयन कानून के अनुसार नहीं था, बल्कि नियमों का उल्लंघन हुआ था। न्यायालय की राय में, उठाई गई आपत्तियाँ किसी भी मायने में निराधार हैं, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में चयन रद्द करने का आदेश निरस्त कर दिया गया था और उक्त आदेश अंतिम और परस्पर बाध्यकारी हो गया था, तो नियुक्ति आदेश, यद्यपि नई पेंशन योजना लागू होने के बाद जारी किया गया था, उसे वर्ष 1997 में हुए चयन से संबंधित माना जाना चाहिए। दिनांक 28.06.2004 के सरकारी आदेश का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:-

"4. इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात् दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है. "उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।"

9. वैसे भी, याचिकाकर्ता के पुराने पेंशन योजना के तहत पेंशन देने के दावे को खारिज करने के लिए जो आधार बनाए गए हैं, वे निराधार हैं, खासकर तब जब चयन रद्द करने का आदेश निरस्त कर दिया गया और उसके बाद प्रतिवादियों ने 1997 के चयन को वैध मानते हुए याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति दे दी। ऐसी स्थिति में, नए पेंशन योजना के तहत नियुक्ति को वैध मानते हुए, पुराने पेंशन योजना के तहत विचार के लिए उसे अयोग्य ठहराना उचित नहीं है। अतः आक्षेपित आदेश मान्य नहीं हैं और उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए।



10. इस स्तर पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाए और मामले को प्राधिकारी को वापस भेज दिया जाए ताकि वह नया आदेश पारित कर सके।

11. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है:

(ए) जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर द्वारा दिनांक 04.08.2025 को पारित आदेश अपास्त किया जाता है।

(बी) उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में नया आदेश पारित करने के लिए मामला वापस संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाता है।

(सी) जौनपुर के जिला मजिस्ट्रेट, जो तीसरे प्रतिवादी हैं, उनकी नियुक्ति की तारीख को ध्यान में रखते हुए, पूरे मामले की जांच करते हुए, कानून के अनुसार सख्ती से एक नया आदेश दो महीने की अवधि के भीतर पारित करेंगे।

12. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

**9 जनवरी, 2026**

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)